7/6/19

पत्रावली पेश हुई। पट्टा अपील अन्तर्गत धारा 136 LR Act तहसीलदार राजपेड़ की ओर से इन तथ्यों के साथ पेश किया गया है कि ग्राम रोखपुर स्थित तहसील राजपेड़ की जमाबन्दी सं० 2010-23 के खाता सं० 174 के खसरा नम्बर 612, 613 मिला 2 रकबा 6.18 बीघा पर भूरीदेवी पत्नी होतमसिंह, सियाराम, परिमालसिंह वल्दियत, रामप्रसाद नाबा० पुत्रान होतमसिंह सा० माँ भूरीदेवी कुर्क डि० क० 4/5 व सुमन पत्नी सिंहालसिंह, भाकी नाबा० पुत्र सिंहालसिंह सा० माँ भूरीदेवी कुर्क डि० क० 1/5 अन्दर डि० 1/18 होतमसिंह, रामदिलदी पि० गोपालसिंह डि० क 1/6 रामदिलदी, होतमसिंह पुत्रान गोपाल सिंह कौम तोमर का सा० रामरतन की मध्य डि० क० 1/6 हरिमोहन पुत्र रामरतन डि० 7/36, कुसुमा देवी व सीमा पुत्री नाबा० पि० हरीराम डि० 1/24, प्रभा पुत्री मुन्नी डि० 1/48 व हरिमोहन पुत्र रामरतन डि० 1/48 अन्दर डि० 2/3 कौम का० सा० रामरतन की मध्य खाईदार दर्ज रिकार्ड है जो कि सम्बन्धी खाईदार डि० पूर्व (एक) नहीं है। जिसे जमाबन्दी से गैरगेमान में खाता अपवादित है। इस कारण उनके आय पूर्व की जमाबन्दियों का अवलोकन करने पर पाया कि मौके ग्राम रोखपुर वाइकी जमाबन्दी सं० 2050-53 में के खाता सं० 225 के खसरा सं० 612, 613 मिला 2 रकबा 6.18 बीघा पर होतमसिंह, होतमसिंह रामदिलदी पि० गोपालसिंह डि० क० 1/8, कीरतराम पुत्र अन्दुआ डि० 1/6 अन्दर डि० 1/3 राइन बैक ऑफ इण्डिया मुर्तहन तुरसीराम, हरिलाल हीरासिंह पि० रामरतन डि० क० 7/12 व कुसुमा देवी व सीमा पुत्री नाबालिग व अन्नादेवी, शिवदेवी, गोपाल वल्दियत शिवराम शिव रतन डि० क 1/12 अन्दर डि० 2/3 कौम तोमर का० सा० रामरतन की मध्य खाईदार दर्ज रिकार्ड है। रिपोर्ट पत्रावली एवं 174 के खाता पर जमाबन्दी सं० 2050-53 में कीरतराम पुत्र अन्दुआ डि० 1/6 अन्दर डि० 1/3 शिव

अन्तर है० 1/3 लिखा है वह गलत है उसे पढ़ा जाये
अतः कीरतराम पुत्र झन्डू का है० 1/6 है तथा
प्रीतम सिंह, रामबिलास पु० गोपालसिंह
है० व 1/6 खरीदा है कमेटी नाम० 582 दिनांक
8/6/94 से कीरतराम ने अपना हिस्सा 1/18
रामबिलास, प्रीतम सिंह, ध्यान, गोपालसिंह के पक्ष
1/18 कर दिया है। कीरतराम के 1/6 में से 1/18
का बेचान करने पर कीरतराम है० 1/9 शेष रहा
है इसलिए वर्तमान जमाबन्दी में कीरतराम पुत्र
झन्डुआ है० 1/9 जोड़ा जाते व प्रीतम सिंह, रामबिलास
पुत्रान गोपालसिंह है० 1/6 खाते में दो बार लिखा
हुआ उसमें से एक का हटाया जाना तथा बाकी खातेदार
का हिस्सा बराबर रखने हेतु राजस्व रिकार्ड में
शुद्धि हेतु आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया
है।

हमने प्रस्तुत रिकार्ड एवं पत्रावली का
अवलोकन किया गया, सं० 2037-40 की
जमाबन्दी में खाता सं० 35 में ख० नं० 612, 613 में
कीरतराम का है० 1/6 है जब कि जमाबन्दी सं०
2042+045 में कीरतराम का है० 1/6 उसका है
1/3 त्रुटि से दर्ज कर दिया है। दिनांक आगे की
जमाबन्दियों में यह गलती होती चली गयी है इसलिए
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हम आदेश देते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अर्जदार
धारा 136 2R Act स्वीकार किया जाकर आदेश
है कि ग्राम रोहपुर तहसील की वर्तमान जमाबन्दी
सं० 2070-2073 के खाता संख्या 174 के ख० नं०
612, 613 किता रकबा 6.18 बीघा पर वर्तमान में
दर्ज खातेदारों के हिस्से में त्रुटि का इस प्रकार
से शुद्धि के आदेश दिये जाते हैं कि खातेदार प्रीतम सिंह
रामबिलास पुत्रान गोपालसिंह है० खाते में दो बार
लिखा है उसमें से एक को हटाया जावे तथा
कीरतराम पुत्र झन्डुआ है० 1/9 जोड़ा जावे।
उक्तानुसार शुद्धि हो सब खातेदारों का हिस्सा
बराबर रखा जावे शुद्धि हेतु पटवारी तहसीलदार
रामगढ़ को भेजी हो पटवारी कैमल शुमार हेतु
दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी